676वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 सितम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 676वीं बैठक दिनांक 11/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 10390/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Thakurtola Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (7200 cum per year) (Khasra No. 125), Village-Thakurtola, Tehsil-Balaghat, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

2. <u>Case No 10350/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Roshna Sand Quarry</u>

in an area of 4.50 ha. (29700 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Roshna, Tehsil-Balaghat, District-Balaghat (MP).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. **Case No 10358/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Barkheda Sand Quarry in an area of 3.22 ha. (28980 cum per year) (Khasra No. 45), Village-Barkhera, Tehsil-Balaghat, District-Balaghat (MP).**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

4. **Case No 10280/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for**

Parsodi Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (44100 cum per year) (Khasra No. 220/1), Village- Parsori, Tehsil-Lanji, District-Balaghat (MP).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

5. **Case No 10357/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Kaudiya Sand Quarry in an area of 4.292 ha. (25752 cum per year) (Khasra No. 117), Village-Kaudiya, Tehsil-Lalbarra, District-Balaghat (MP).**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

6. **Case No 10282/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for**

Ghoti Sand Quarry in an area of 2.90 ha. (19140 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Ghoti, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat (MP).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

7. **Case No 10391/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Kukda Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (18000 cum per year) (Khasra No. 258), Village-Kukra, Tehsil-Balaghat, District-Balaghat (MP).**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण आज सेक की 676वीं बैठक दिनांक 11/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

8. **Case No 10281/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Seoni Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (26400 cum per year) (Khasra No. 442/1), Village- Seoni, Tehsil-Waraseoni, District-Balaghat (MP).**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

9. **Case No 10283/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Khairi Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (60000 cum per year) (Khasra No. 854), Village-Khairi, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat (MP).**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

10. **Case No 10284/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Chicholi Sand Quarry in an area of 1.458 ha. (12247.20 cum per year) (Khasra No. 387), Village-Chicholi, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat (MP).**

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/09/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किन्तु परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लक्ष्यकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस

रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित नहीं हुए, परन्तु बैठक के दौरान प्रभारी खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें उपस्थित हुए जिनके द्वारा समिति को अपने पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 11/09/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उनको दूरभाष पर बताया गया की उनकी अधिकृत कंसलटेन्सी फर्म की वैद्यता समाप्त होने की वजह से तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से सुनवाई दिनांक में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण हेतु अगली तिथि नियत करने का निवेदन किया है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

11. <u>Case No 10297/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Barsedi Sand Deposit in an area of 4.90 ha. (83799 cum per year) (Khasra No. 3278), Village-Bharseri, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Barsedi Sand Deposit in an area of 4.90 ha. (83,799 cum per year) (Khasra No. 3278), Village-Bharseri, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431427].	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 3278, एरिया – 4.90 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – भरसेडी, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी.2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	यह खदान गोपद नदी में स्थित है, एवं खदान मे से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है। जिसका कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 2.10 हे. क्षेत्रफल में गैर खनन क्षेत्र एवं 2.79 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 83,799 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 83,799 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 830 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 830 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 830 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 110 मी. की दूरी पर 01 मकान, 230 मी. की दूरी पर 01 मकान स्थित है।**
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत भरसेड़ी, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–123 के सरल क्र0 – 02 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **88200** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 83,799 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 83,799 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.02 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.22 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.17 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र, ग्राम पंचायत भवन भरसेण्डी के पास की अधोसंरचना विकास हेतु ख र्च की जाएगी|	25,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र, गेरुआटोला की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	25,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र, उत्तरटोला की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	25,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र करवाही, स्कूल की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	25,000
अग्रलिखित धनराशि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरसेण्डी, के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जा एगी|	1,17,000
योग	2,17,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5880 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1565**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**254**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**106**
2	ग्राम भरसेड़ी के ग्रामवासियों में वित रण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3905
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	50
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय			

पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**5880**

12. <u>Case No 10247/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dhonga Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (16080 cum per year) (Khasra No. 971), Village- Dhoga, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dhonga Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (16,080 cum per year) (Khasra No. - 971), Village- Dhoga, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431490].	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 971, एरिया – 1.50 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – ढोगा, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान महान नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं 423 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 0.696 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.80 हे.	

	में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 16,080 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 16,080 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 827 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.50 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 827 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 827 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 110 मी. की दूरी पर 02 मकान स्थित है।**
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत ढोगा कलां, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक .....अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–125 के सरल क्र0 – 43 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **18000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16,080 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 16,080 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.86 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.65 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.47 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अग्रलिखित धनराशि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ढोंगा के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	47,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1052**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**244**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**102**
2	ग्राम ढोंगा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	360
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	42

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**1800**

13. <u>Case No 10367/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Hardi Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (66211 cum per year) (Khasra No. 471), Village-Hardi, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011Prior Environment Clearance for Hardi Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (66,211 cum per year) (Khasra No. 471), Village-Hardi, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431510]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.–471, एरिया – 4.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– हरदी, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान गोपद नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्लाक क्षेत्र के कारण 1.79 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.20 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 66,211 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 66,211घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 829 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	

विवरण	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 829 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 829 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत हर्दी जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 15/08/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 124 के सरल क्रमांक 31 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **72,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 62,211 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 62,211 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.89 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.50 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.73 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र हर्दी की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	23,000

अग्रलिखित धनराशि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हर्दी के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	90,000
अग्रलिखित धनराशि शासकीय माध्यमिक विद्यालय, हर्दी के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	60,000
कुल	1,73,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1919**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**312**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**130**
2	ग्राम हर्दी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2389
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू,, बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	50

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**4800**

14. Case No 10341/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Jiawan Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (48000 cum per year) (Khasra No. 471), Village-Jiawan, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Jiawan Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (48,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Jiawan, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431685]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.–471, एरिया – 4.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– जियावन, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान महान नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, एवं 270 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 1.6 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.4 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 822 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 822 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। **रेत खदान से 100 मी. की दूरी पर 04 मकान एंव 130 मी. की दूरी पर 04 मकान स्थित है।**
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 822 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत जियावन जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक निरंक दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 123 के सरल क्रमांक – 09 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **48,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **48,000** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 48,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट ;त्मचंतपद ंवदमद्ध के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.19 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.92 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.27 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र, जियावान की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	27,000
अग्रलिखित धनराशि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जियावान के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	1,00,000
कुल	1,27,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**3128**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**820**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**342**
2	ग्राम जियावन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	460
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	50

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- ✓ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- ✓ रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**4800**

15. Case No 10246/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Khamariya Kalan Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (48000 cum per year) (Khasra No. 430), Village-Khamhariya Kalan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Khamariya Kalan Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (48,000 cum per year) (Khasra No. 430), Village- Khamhariya Kalan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [431703]	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 430, एरिया – 4.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – खम्हरिया कलां, तह.– चितरंगी, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान महान नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है एवं 495 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 1.6 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.4 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 820 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 820 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 820 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 150 मी. की दूरी पर 02 मकान स्थित है।**
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत खम्हरिया कलां, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 14/04/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–124 के सरल क्रमांक – 24 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **48,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **4800** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 48,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.43 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.52 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.27 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, खमरिया कलां के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	1,00,000

अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र खमरिया कलां की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	27,000
कुल	1,27,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1939**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**395**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**165**
2	ग्राम खम्हरिया कला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2251
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा , नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	50

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**4800**

16. Case No 10296/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chakuwar Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (21178 cum per year) (Khasra No. 135/219), Village-Chakuwar, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chakuwar Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (21,178 cum per year) (Khasra No. 135/219), Village-Chakuwar, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431723].	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 135/219, एरिया – 2.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – चकुवार, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी. 2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान महान नदी में स्थित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्लाक क्षेत्र के कारण 1.059 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.941 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 21,178 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 21,178 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 825 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 825 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र	

राजस्व जानकारी	क्रमांक 825 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 100 मी. की दूरी पर 02 मकान स्थित है।**
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत अंतरवा, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 04/10/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–124 के सरल क्र0 – 21 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **36,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 21,178 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 21,178 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.75 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.39 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि शासकीय हाई स्कूल अतारवा के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1161**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**236**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**95**
2	ग्राम खम्हरिया कला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	855
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिव नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	50
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । ✓ परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। ✓ रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**2400**

17. <u>Case No 10248/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Raila Sand Quarry in an area of 3.46 ha. (37746 cum per year) (Khasra No. 1370), Village-Raila, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और

उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, E-mail-singraulimpsmcl@gmail.com, Mobile-9754565086. Prior Environment Clearance for Raila Sand Quarry in an area of 3.46 ha. (37,746 cum per year) (Khasra No.- 1307), Village-Raja Sarai, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [431796].	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 1307, एरिया – 3.46 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – रैला, तह.– सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी.2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान गर्रा नदी में स्थित है, जिसके उत्तर पश्चिम दिशा से आकर एक अन्य धारा खदान क्षेत्र में मिल रहीं है। आशिंक भाग भाग पानी डूबा होने के कारण 1.573 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 1.887 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 37,746 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 37,746 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 824 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.46 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 824 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 824 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 100 मी. की दूरी पर 05 मकान स्थित है।**	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत रैलां, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	

की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–124 के सरल क्र0 – 16 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– 41,520 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 37,746 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि नदी में प्रस्तावित खदान के दूसरी ओर पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध है परन्तु वहां खदान प्रस्तावित न करते हुये नदी क्षेत्र में क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अतः समिति का सुझाव है कि ऐसे प्रकरणों में क्षेत्र का पुर्ननिर्धारण भविष्य में किया जावें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 37746 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.08 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.24 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.02 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रैला के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	72,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र - रैला के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	30,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4152 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**3031**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**615**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**256**
2	ग्राम रैला के ग्रामवासियों में वित रण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा , नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजाति याँ (ट्री गौर्ड के साथ(	50

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**4152**

18. <u>Case No 10245/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Majauna Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (60000 cum per year) (Khasra No. 602), Village-Majauna, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और

उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Majauna Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (60,000 cum per year) (Khasra No. - 602), Village-Majauna, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [431838]	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 602, एरिया – 5.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – मजौना, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान महान नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण कारण 2.0 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 3.0 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 824 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 824 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 824 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 120 मी. की दूरी पर 02 मकान, 170 मी. की दूरी पर 02 मकान एंव 220 मी. की दूरी पर मानव बसाहट स्थित है।**	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत मजौना, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02/04/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–124 के सरल क्रमांक –	

	29 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **90,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा **60,000** घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – **60,000** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.84 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.74 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.58 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि शासकीय माध्यमिक विद्यालय मझोना के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	50,000
अग्रलिखित धनराशि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय - चन्दुआर के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	83,000
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र मजोना के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	25,000
कुल	1,58,00

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1715**

	6 पंक्तियों में)	**4–5 पंक्ति – कटंग बांस** (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**348**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**145**
2	ग्राम मझौना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3742
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	50
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**6000**

19. <u>Case No 10244/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Koyalkoonth Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (22882 cum per year) (Khasra No. 892), Village-Khatkhariya, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Koyalkoonth Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (22,882 cum per year) (Khasra No. - 892), Village- Khatkhariya, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [431851]	
खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 892, एरिया – 2.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम – खटकारिया, तह.– सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान मयार नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी का बहाव हो रहा है, आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण कारण 0.856 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.144 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 22,882 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 22,882 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 835 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 835 दिनांक 11/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 835 दिनांक 11/03/2023 अनुसार **500 मीटर की परिधि में 100 मी. की दूरी पर 01 मकान स्थित है।**	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कोयलकूथ, जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–123 के सरल क्रमांक – 14 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– **24,000** घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 22,882 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 22,882 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.15 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.79 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि शासकीय हाई स्कूल कोयलखुथ के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	79,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1549**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**530**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**221**
2	ग्राम कोयल खूँथ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा	50

		, नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
	योग		**2400**

20. <u>Case No 10249/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Mandwada Sand Deposit in an area of 5.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 358), Village- Mandwara, Tehsil-Anjad, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना, डिप्टी जनरल मेनेजर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	358 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 Ha.
स्थल	ग्राम MANDWARA तसहील Anjad जिला Barwani (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान डेब नदी में स्थित है, खनन् क्षेत्र में कहीं–कहीं पर जल भराव	

का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	दिख रहा हैं। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.677 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 3.323 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–3,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट है, शेष अन्य नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 11/7/23 अनुसार ग्राम ठहराव प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करेंगे ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–38 के सरल क्रमांक – 14 पर दर्ज है पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–3034 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2213 दिनांक 08/09/23 द्वारा अवगत कराया कि बडवानी जिले की रेत खदाने– पानसेमल, मण्डवाडा एवं मोरगुन कुल 03 रेतख्दानो के अंक्षांश/देशांश नवीन प्राप्त किये गये है, जिसकी सूची प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–3,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.12 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.85 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
For infrastructure development, the following amount will be deposited in the Guardian Teachers Association of Government High School of Mandwada village	10,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**2500**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1000**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**1000**
2	ग्राम मंडवाडा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

• परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**6000**

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1			
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।			
		योग	

21. <u>Case No 10251/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Morgun Sand Deposit in an area of 4.346 ha. (500 cum per year) (Khasra No. 76/1), Village- Morgun, Tehsil-Rajpur, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना, डिप्टी जनरल मेनेजर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)

/ का नाम व पता		
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	76/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.346 ha.
स्थल	ग्राम MORGUN तसहील Rajpur जिला Barwani (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान रूपा नदी में स्थित है, जो कि 02 भागों में विभक्त है। उत्तर दिशा में स्थित माईनिंग क्षेत्र को स्टाप डेम होने की वजह से गैर खनन् क्षेत्र के रूप में रखा गया है, तथा दक्षिण दिशा में रोड़ ब्रिज अपस्ट्रिम होने की वजह से 250 मी. तक का गैर खनन् क्षेत्र एवं शेष भाग में खनन् कार्य प्रस्तावित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में गैर खनन् क्षेत्र 2.634 हे. एवं 1.712 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य सरफेस मेप में दर्शाया गया है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में आबादी, प्राथमिक विद्यालय, मोरगुन एवं आंगनवाड़ी केंद्र, मोरगुन एवं इंदिरा सागर मुख्य नहर है, शेष अन्य नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव कंमांक 07, 08 दिनांक 11/07/2023	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–38 के सरल क्रमांक –14 पर दर्ज है पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–501 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2213 दिनांक 08/09/23 द्वारा अवगत कराया कि

बडवानी जिले की रेत खदाने– पानसेमल, मण्डवाडा एवं मोरगुन कुल 03 रेतख्दानो के अंक्षांश/देशांश नवीन प्राप्त किये गये है, जिसकी सूची प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.12 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.89 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
For infrastructure development, the following amount will be deposited in the Guardian Teachers Association of Government High School of Murgun village	10,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5215 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**2500**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**1000**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**1000**

2	ग्राम मोर्गुन के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	715
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
योग			**5215**

22. <u>Case No 10272/2023</u> <u>Shri RAM LAKHAN SONI, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधकजिला (कार्यालय सिंगरौली, Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.) Prior Environment Clearance for Dol-2 Sand Quarry in an area of 4.25 ha. (25500 cum per year) (Khasra No. 21), Village- Dol-2, Tehsil- Bahri, District- Sidhi (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम लखन सोनी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा. लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री शिशिर यादव, खनिज निरीक्षक, सीधी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAM SONI, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय सिंगरौली, Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	21 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.25 ha.
स्थल	Village- Dol-2, Tehsil- Bahri, District- Sidhi, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	

	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान गोपद नदी में स्थित है, जिसमें खदान क्षेत्र के अंदर कही–कही भाग पानी डूबा हुआ है, डूबा होने के कारण 1.7 हे. क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 2.55 हे. क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–25,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–25,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 649 दिनांक 18/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 649 दिनांक 18/07/23 अनुसार सोन घड़ियाल अभ्यारण्य अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन से 190 मीटर दूरी पर है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 649 दिनांक 18/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डोल जिला सीधी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 26/01/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक 26 में दर्ज है, सरल क्रमांक 18 जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–92,820 मै.टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 25,500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–25,500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.14 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.22 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.69 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय उच्च विद्यालय, तरका के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	69,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1612**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**325**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**135**
2	ग्राम डोल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2978
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिव, नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गौर्ड के साथ(	50

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण

क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**5100**

23. <u>Case No 10308/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Talwa Sand Deposit in an area of 3.00 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 118), Village-Talwa, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, E-mail-singraulimpsmcl@gmail.com, Mobile-9754565086, Prior Environment Clearance for Talwa Sand Deposit in an area of 3.00 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 118), Village-Talwa, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [435393]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0. – 108, एरिया–3.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– तलवा, तह.– देवसर, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान सरांव नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण कारण 1.2 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.8 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया	

	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1742 दिनांक 23/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1742 दिनांक 23/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1742 दिनांक 23/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत उज्जैन जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 16/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–126 के सरल क्रमांक – 62 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–54,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 54,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.25 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.42 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र तलवा के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	32,000
अग्रलिखित धनराशि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय तलवा के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी|	1,10,000
कुल	1,42,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**2400**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**707**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**295**
2	ग्राम तलवा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	**148**
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा , नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजाति याँ (ट्री गौर्ड के साथ(	**50**

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेै STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की

सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**3600**

24. <u>Case No 10309/2023 Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Raila-2 Sand Deposit in an area of 2.00 ha. (18186 cum per year) (Khasra No. 606), Village-Raila, Tehsil-Singrauli , District-Singrauli (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में डॉ. विद्याकांत तिवारी, खनिज निरीक्षक, सिंगरौली समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Junior Manager, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for **Raila-2 Sand Deposit** in an area of 2.00 ha. (18,186 cum per year) (Khasra No.- 606), Village-Raila, Tehsil-Singrauli , District-Singrauli (MP) [435397].	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.–606, एरिया – 2.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– रैला, तह.– सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 1737 दिनांक 22/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान गर्रा नाला में मियन्डर पर स्थित है, खदान क्षेत्र में से नदी का बहाव हों रहा है। कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.09 क्षेत्रफल में गैर क्षेत्र एवं 0.90 क्षेत्रफल में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस में है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 18,186 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 18,186 घनमीटर/वर्ष	

	हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1717 दिनांक 20/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली केएकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1717 दिनांक 20/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1717 दिनांक 20/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत रैला जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15/08/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 124 के सरल क्रमांक – 58 पर दर्ज है जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल– 24,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18,186 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 18186 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.82 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.72 लाख प्रति वर्ष ।

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.52 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
अग्रलिखित धनराशि शासकीय प्राथमिक विद्यालय रैला के अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	52,000
कुल	1,42,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	**1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास एंव स्थानीय घास** (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	**1437**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	**542**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	**326**
2	ग्राम रैला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	160
3	परिवहन मार्ग में	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मौलश्री, पुत्रन्जिवा, नींबू, , बेल एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ) ट्री गौर्ड के साथ (	35

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

• रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**2400**

25. <u>Case No 10250/2023 Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP) Prior Environment Clearance for Pansemal Sand Deposit in an area of 2.570 ha. (600 cum per year) (Khasra No. 38/1), Village- Pansemal, Tehsil-Pansemal, District-Barwani (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजीव सक्सेना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री शांति लाल निनामा, खनिज निरीक्षक उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJEEV SAXENA, Deputy General Manager, Paryavas Bhawan, Block No. A, 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	38/1 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.57 hectares.
स्थल	ग्राम Pansemal तसहील Pansemal जिला Barwani (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 366 दिनांक 24/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान गोमी नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1075 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1075 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1075 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट है, शेष अन्य नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–38 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बडवानी द्वारा अपने पत्र. क्र0. 2213 दिनांक 08/09/23 द्वारा अवगत कराया कि बडवानी जिले की रेत खदाने– पानसेमल, मण्डवाडा एवं मोरगुन कुल 03 रेतख्दानो के अंक्षांश/देशांश नवीन प्राप्त किये गये है, जिसकी सूची प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि एकल प्रमाण पत्र के बिन्दु क्रमांक 05 जलिय–निकाय संरचना का उल्लेख नहीं है, परन्तु गूगल मेप पर देखने पर स्टाप डेम दिख रहा है। उक्त संबंध में खनिज अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 02 दिनांक 11/09/2023 अवगत कराया कि उनके द्वारा मौकं पर जाकर स्टाप डेम की फोटो एवं संबंधित विभागों द्वारा स्टाप डेम की विस्तृत जानकारी एवं उपयोगिता/अनउपयोगिता की जानकारी प्रापत कर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी जावेगी। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एक अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

26. <u>Case No 9858/2023 M/s Veer Durgadas Minerals Pvt.Ltd. R/o Rathore House, Near FCI Godown, Chanderia, Chittorgarh (Raj.)-312021, Prior Environment Clearance for Limestone Quarry in an area of 221.043 ha. (500010 TPA) (Khasra No. As per Lease Sanction) Village-Suvakheda and Kheda Rathore, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP).</u>

प्रकरण में समिति की पूर्व 645वीं बैठक दिनांक 15/05/23 में चाही गई जानकारी का प्रस्तुतीकरण समिति के 655वीं दिनांक 22/06/23 को प्रस्तुतीकरिण हुआ था, जिसमें क्वेरी क्रमांक 1 के संदर्भ में जिलाध्याक्ष नीमच द्वारा अपने पत्रांक 597/खनिज/2023 नीमच दिनांक 12.05.2023 में उक्त बिदु पर टीप नही दी गई है, मात्र पुराने बिंदु का ही उल्लेख किया है, अन्य बिंदुओ के संबंध में परीक्षण करने पर समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थिति स्पष्ट नही की है। अतः विस्तृत जानकारी निम्न बिंदुओं पर जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी जावेंः–

- ब्लॉक न. 4 के भू–स्वामी कितने है खसरावार तालिका प्रस्तुत करे ।
- ओ.वी. डंप कहॉ रखा जायेगा अथवा उसके विक्रय का प्रस्ताव है, स्थिति स्पष्ट करें ।
- बस्तियो से, एवं नदी, नाला, बॉध से एन.जी.टी./सीपीसीबी की गाईडलाईन के अनुरूप 200 मीटर का सेटबेक के आधार पर सरफेस मैप प्रस्तुत करे। ब्लॉक न. 2 से स्टॉप डेम के एच.एफ. एल एवं प्राकृतिक नाला से आवश्यक दूरी का प्रावधान करें। हॉलाकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. गाईड लाइन के अनुरूप सेटबेक रखने का अनुरोध किया गया हे।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नही है। समिति का मत है कि इस संबंध में हाईड्रोज्योलॉजीकल अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे ।
- **क्वेरी कमांक 6 के अनुसार** ब्लॉक 2, 4 एंव 10 का कुल क्षेत्र 135.61 हे0. है इन तीनों ब्लाकों मे शासकीय भूमि तथा निजि भूमि का खसरावार क्षेत्र दर्शाते हुये तालिका प्रस्तुत की जावें तथा ब्लॉक 4 में जो निजी किसान प्रभावित होंगे उनमे से जन–सुनवाई मे कौन–कौन से किसान उपस्थित हुये एंव उनके द्वारा क्या–क्या सुझाव/ आपत्ति दी गई, उनके सुझाव/आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण संबंधी जानकारी तालिका के रूप में प्रस्तुत की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 221 हे. के लिये पर्यावरण स्वीकृति मांगी गई है पंरतु पौधारोपण का प्रस्ताव केवल कुल 29 हे0 का ब्लॉक न. 2, 4, 10 का दिया गया है अतः सभी ब्लाको के पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये, अन्यथा प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल को ही पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।
- प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्रफल हेतु ट्री इन्वेंटरी प्रस्तुत की जावे।
- निजी भूमि में प्रस्तावित पौधारोपण हेतु भूस्वामी की मांग के अनुसार पौधे उपलब्ध कराये जावे, कृषको के द्वारा मांग के अनुसार पौधो का वितरण भू–प्रवेश के बाद करने हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाये ।
- निजी भू–स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखते हुए फेयरडील के आधार पर किया जाये तथा जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि भूमि अधिग्रहण किसी प्रलोभन अथवा दबाबवश नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/07/23 के द्वारा उपरोक्त वांछित जानकारी परिवेश पोर्टल अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शिव कुमार लखेरा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कान सिंह राठौर मेसर्स इंवायरो ग्रीन कंसल्टेंस (इंडिया) प्रा.लि. उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए।

समिति ने चर्चा ब्लॉक नं. 1 एवं 2 के बीच जो प्राकृतिक नाला है एवं रहवासी क्षेत्र है, उसमें संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 100 मीटर का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है, जिसे नक्शें में दिखाया गया है । वर्तमान में ब्लॉक नं. 6 में कोई खनन् कार्य प्रस्तावित नही है । ब्लॉक नं. 10 में पूर्वी ओर एक छोटे क्षेत्र में माईनिंग प्रस्तावित है परंतु चारों ओर निजी कृषि भूति है, अतः ब्लॉक नं. 10 में खनन् कार्य प्रस्तावित नहीं करेंगे । **प्रस्तुतीकरण पश्चात् परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए दिए गए :–**

1. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ब्लॉक नं–3 जिसका क्षेत्रफल 2.995 है और खनन् कार्य ब्लॉक नं. 4 में प्रस्तावित है, इस ब्लॉक का ओव्हरवर्डन ब्लॉक नं. 3 में डम्प प्रस्तावित है । समिति ने वर्स्टकेस सिनारियो की स्थिति में यदि ओव्हनवर्डन विक्रय नहीं है तो ब्लॉक नं.–3 में वर्ष 2055 तक कितना ओव्हरवर्डन समायोजित होगा, का विवरण नक्शें दिखाते हुए डेटा सहित प्रस्तुत करें ।
2. यदि ओव्हरवर्डन ब्लॉक नं.–3 में समायोजित नहीं होता है तो परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि हर पॉच वर्ष में इसका आंकलन करेंगे ।
3. ब्लॉक नं. 2 में जो कि शासकीय भूमि है, उसमें वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की जावे।
4. ब्लॉक नं. 1 एवं 2 निजी क्षेत्र है तो परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि उसमें बिना किसानों की सहमति के पौधारोपण नहीं किया जावेगा ।
5. ब्लॉक नं. 4 एवं 5 में जो प्रचलित रास्ता दिख रहा है, जिसके संरक्षण हेतु 100 मीटर का सेटबैक सरफेस में दिखाते हुए प्रस्तुत करें । साथ ही रोड़ से लगी हुई जो निजी भूमि है, उसमें बिना किसानों की सहमति के पौधारोपण नहीं किया जावेगा ।
6. ब्लॉक नं. 5 के दक्षिण–पूर्वी दिशा में जो बस्ती लगी हुई है, उस पूरे क्षेत्र को नियमानुसार नॉन माईनिंग जोन सरफेस में दिखाते हुए प्रस्तुत करें और इसी ब्लॉक में जो निजी भूमि है, उसमें भी भू–स्वामियों की सहमति के आधार पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
7. ब्लॉक 7, 8 एवं 9 अधिकांश निजी भूमि है, इसमें बिना किसानों की विधि अनुरूप लिखित सहमति अनुसार वृक्षारोपण किया जावेगा ।
8. ब्लॉक नं. 10 में पूर्वी ओर एक छोटे क्षेत्र में माईनिंग प्रस्तावित है परंतु चारों ओर निजी कृषि भूति है, अतः ब्लॉक नं. 10 में खनन् कार्य प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावक वचन पत्र प्रस्तुत करें ।
9. **प्रस्तावित खनन् क्षेत्र में 04 से 05 लोकेशंस ब्लॉक नं. 4 को शामिल करते हुए जल संसाधन विभाग से हाईड्रोज्योलॉजीकल अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।**
10. ब्लॉक संख्या 4 का कुल क्षेत्रफल 32.092 हैक्टेयर है जिसमे से 6.685 हैक्टेयर भूमि शासकीय भूमि एवं कुल 34 निजी खातेदार है अतः ब्लॉक नं. 4 जिसमें 34 कृषक प्रभावित होंगे, उनका सहमति पत्र भू–राजस्व संहिता एवं एम.एम.आर. नियम के तहत् प्रस्तुत करें ।
11. ब्लॉक नं.4 का वर्ष 2055 तक रिस्टोरेशन प्लांन आईबीएम के नियम अनुसार प्रस्तुत करें ।
12. क्लोजर प्लांन में बैकफिलिंग का प्रस्तावक है, अतः स्पष्ट करें कि 50 मीटर खनन् के पश्चात् कितनी ऊँचाई तक बैकफिलिंग किया जावेगा एवं उसके लिए मटेरियल कहां से लाया जावेगा।
13. बैकफिलिंग की कास्ट ई.एम.पी. में शामित करते हुए पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 24/08/23 को प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 11/09/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शिव कुमार लखेरा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कान सिंह राठौर मेसर्स इंवायरो ग्रीन कंसल्टेंस (इंडिया) प्रा.लि. उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गईः–

- **प्रत्युत्तर** –1: ब्लॉक नं. 3 का कुल क्षेत्रफल 2.995 हैक्टेयर है जिसमें सेफ्टी बेरियर छोड़ने के पश्चात् कुल क्षेत्रफल 2.45 हैक्टेयर होता है तथा प्रस्ताव अनुसार ब्लॉक नं. 3 में मिनरल रिजेक्ट वर्ष 2035 तक प्रस्तावित है जिसमें कुल मिनरल रिजेक्ट 72740 क्यूबीक मीटर (181850 टन) डाला जाएगा तथा वर्ष 2036 से उत्पन्न मिनरल रिजेक्ट को ब्लॉक नं. 4 के निर्दिष्ट स्थान पर बैकफिल किया जाएगा। वर्स्टकेस सिनारियो की स्थिति अनुसार ब्लॉक नं. 3 में प्रस्तावित मिनरल रिजेक्ट के नक्शे प्रति प्रस्तुतीकरण में दर्शाया है।
- **प्रत्युत्तर** –2: प्रस्ताव अनुसार ब्लॉक नं. 4 से उत्पन्न मिनरल रिजेक्ट को ब्लॉक नं. 3 में डम्प किया जाएगा जिसकी कुल मात्रा 72740 क्यूबीक मीटर (181850 टन) है। तत्पश्चात् उत्पन्न मिनरल रिजेक्ट को ब्लॉक नं. 4 में बैकफिल किया जाएगा एवं हर पांच वर्ष में उत्पन्न मात्रा का आंकलन किया जाएगा जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुतीकरण में दर्शाया है।
- **प्रत्युत्तर** –3: ब्लॉक नं. 2 में कुल शासकीय भूमि 9.33 हैक्टेयर है जिसमें से 5.08 हैक्टेयर शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण करेगे तथा 2.7175 हैक्टेयर शासकीय भूमि पर खनन कार्य करेगें। वृक्षारोपण प्लान प्रस्तुतीकरण में दर्शाया है।
- **प्रत्युत्तर** –4: ब्लॉक नं. 1 एवं 2 में आने वाले निजी भूमि पर किसानो की सहमति से ही पोधारोपण किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र संलग्न किया है ।
- **प्रत्युत्तर** –5: निर्देशानुसार प्रचलित रास्ता से 100 मीटर सेटबेक छोड़कर सरफेस प्लान अगली स्लाईड पर संलग्न है जिस पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है उक्त क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि पर किसानो की सहमति से ही पोधारोपण किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र संलग्न किया है।
- **प्रत्युत्तर** –6: ब्लॉक नं. 5 के दक्षिण पूर्वी दिशा में जो बस्ती लगी हुई है उस पूरे क्षेत्र को नियमानुसार सेटबेक छोड़ नॉन माईनिंग जोन सरफेस प्लान में दर्शाया गया है जो कि संलग्न किया है। उक्त क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि पर किसानो की सहमति से ही पोधारोपण किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र संलग्न किया है।
- **प्रत्युत्तर** –7: ब्लॉक नं. 7, 8 एवं 9 में आने वाली निजी भूमि पर बिना किसानो की विधि अनुरुप लिखित सहमति के आधार पर पौधारोपण किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र संलग्न किया है।
- **प्रत्युत्तर** –8: ब्लॉक नं. 10 में शासकीय भूमि से खनन कार्य प्रारंभ करेगें एवं निजी खातेदारो की सहमति प्राप्त कर ही खनन कार्य किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न किया है।
- **प्रत्युत्तर** –9: जल संसाधन विभाग, नीमच से हाईड्रोज्योलॉजिकल रिपोर्ट जिसमें सम्पूर्ण खनन क्षेत्र जिसमें ब्लॉक नं.–4 को शामिल करते हुए अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत है जिसके अनुसार वर्तमान मे जल स्तर 70 मीटर से अधिक की गहराई पर है रिपोर्ट संलग्न की है ।
- **प्रत्युत्तर** –10: प्रारंभ में हमारे द्वारा केवल शासकीय भूमि पर ही खनन कार्य किया जाएगा तथा निजी भूमि में खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भू स्वामी की सहमति प्राप्त कर ही निजी भूमि में खनन कार्य किया जाएगा। इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा पूर्व के एडीएस दिनांक 22.06.

2023 के बिन्दु क्रमांक –9 ''निजी भू स्वामीयो से भूमि का अधिग्रहण उनके आर्थिक हितो का ध्यान रखते हुए फेयरडील के आधार पर किया जावे। उक्त आदेश की पालना में हमारे द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं इस बाबत् पुनः शपथ पत्र प्रस्तुत है।

- **प्रत्युत्तर** –11: ब्लॉक नं. 4 का वर्ष 2055 तक अद्यतन रिस्टोरेशन प्लान आईबीएम के नियमानुसार तैयार कर संलग्न है।
- **प्रत्युत्तर** –12: खनन योजना अनुसार खनन के अंतिम वर्ष तक कुल 207123 क्यूबीक मीटर (517810 टन) मिनरल रिजेक्ट उत्पन्न होना प्रस्तावित है उत्पन्न मिनरल रिजेक्ट को ब्लॉक नं. 2,4,10 में कुल 50–50 मीटर खनन कार्य पश्चात् जो निम्नानुसार बैकफिलिंग किया जाएगा :–

ब्लॉक नं	बैकफिलिंग वर्ष	बैकफिलिंग मात्रा क्यूबी मीटर	बैकफिलिंग उंचाई मीटर में
4	2021–2055	135010	6.72
2	2051–2060	21000	1.35
10	2056–2070	51112	4.34
योग		**207123**	–

कुल 50 मीटर खनन कार्य पश्चात् उपरोक्त वर्णित पिट क्षेत्र को बैकफिल कर वर्षा के जल संग्रहण हेतु छोड़ा जाएगा।

प्रत्युत्तर –13: बैकफिलिंग की कॉस्ट ई.एम.पी. में शामिल करते हुए पुनरिक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना निम्नानुसार हैः–

विवरण	वर्षवार लागत (लाखो में)
वृक्षारोपण	3.50
बण्ड रोपण	1.00
पानी का छिडकाव	2.00
एनवायरमेंट मोनिटरिंग	1.50
एनवायरेमेंटल स्ट्रक्चर की मरम्त एवं रखरखाव	1.50
ब्लॉक नं. 2, 4 एवं 10 की पिट फेसिंग, बेकफिलिंग व ब्लॉक नं. 3 में प्रस्तावित रिटेनिंग वॉल व तिरपाल की कॉस्ट	7.50
योग	**17.00**

परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि ब्लॉक नं. 3 के मिनरल रिजेक्ट डम्प की सुरक्षा हेतु 4 मीटर उंचाई की रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी व मिनरल रिजेक्ट डम्प को तिरपाल द्वारा कवर किया जाएगा।

संशोधित ई.एम.पी. लागत निम्नानुसार है :–

विवरण	पूर्व मे प्रस्तावित ईएमपी **प्रति वर्ष** लागत (लाखो में)	संशोधित ईएमपी **प्रति वर्ष** लागत (लाखो में)
वृक्षारोपण	3.50	3.50
बण्ड रोपण	1.00	1.00
पानी का छिडकाव	2.00	2.00
एनवायरमेंट मोनिटरिंग	1.50	1.50
एनवायरेमेंटल स्ट्रक्चर की मरम्त एवं रखरखाव	1.50	1.50
ब्लॉक नं. 2, 4 एवं 10 की पिट फेसिंग, बेकफिलिंग व ब्लॉक नं. 3 में प्रस्तावित रिटेनिंग वॉल व तिरपाल की कॉस्ट	3.00	7.50
योग	**11.50**	**17.00**

परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि MoEF&CC भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत **ToR** जिसमें ब्लॉक नं. 2, 4 एवं 10 में खनन कार्य करने की अनुमति दी गई है। उपरोक्तानुसार भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदन प्राप्त कर ही खनन कार्य प्रारभ किया जाएगा।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा स्वीकृत ToR के अनुसार तालिका प्रस्तुत है।।

क्र.स.	विवरण	ब्लॉक नं.	खनन वर्ष	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार खनन कार्य हेतु अनुमोदित क्षेत्र हैक्टेयर	**MoEF&CC** एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा स्वीकृत **ToR** के अनुसार खनन कार्य हेतु अनुमोदित क्षेत्र हैक्टैयर	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र हैक्टेयर
1	**स्वीकृत खनन क्षेत्र 221.043 हैक्टर**	1	.	0	0	0
		2	2056-60	2.7175	2.7175	2.7175
		3	-	0	0	0
		4	2021-55	14.55825	14.55825	14.55825
		5	-	0	0	0
		6	-	12.02	0	0
		7	-	3.07875	0	0
		8	-	3.29125	0	0
		9	-	4.59675	0	0
		10	2060-70	5.832	6.1077	6.1077

		ब्लॉक नं	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार		परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन प्रस्तावित	
			क्षेत्रफल हैक्टेयर	वृक्षो की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर	वृक्षो की संख्या
2	**वृक्षारोपण**	1	2.0888	2089	2.0888	2089
		2	2.9799	2980	15.595	15595
		3	0.5651	565	3.625	3325
		4	6.6749	6675	6.6749	6675
		5	2.7106	2711	3.8908	7891
		6	8.2148	8215	14.8895	14890
		7	2.000	2000	8.3687	8369
		8	1.50	1500	4.5085	4509
		9	1.50	1500	6.3093	6309
		10	0.9159	916	17.1598	17160
	योग		**29.1497**	29150	**86.5895**	86590

		ब्लॉक नं	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्लान के अनुसार		SEAC, MP के निर्देशानुसार	
			100 मीटर सेटबेक एरिया हैक्टेयर	रिमेनिंग एरिया हैक्टेयर	100 मीटर सेटबेक एरिया हैक्टेयर	रिमेनिंग एरिया हैक्टेयर
3.	**सेटबेक**	1	0	2.0888	0.9514	1.137
		2	0	32.8833	2.23	30.653
		3	0	3.325	0	3.325
		4	0	32.092	2.2656	29.826
		5	0	22.074	5.1802	16.894
		6	0	38.8584	11.43	27.428
		7	0	8.3687	0	8.369
		8	0	4.5085	0	4.509
		9	0	6.1989	0	6.199
		10	0	70.646	16.262	54.384
	योग		**0**	**221.043**	**38.3192**	**182.724**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया कि **ब्लॉक नं. 2, 4 एवं 10 की खनन एवं बेकफिलिंग का विवरण** निम्नानुसार है :–

ब्लॉक नं.	खनन क्षेत्र हैक्टेयर में	बेकफिलिंग मात्रा क्यूबीक मीटर में	खनन की गहराई मीटर में	बेकफिलिंग पिट बॉटम में उंचाई मीटर में	वर्षा जलसंग्रहण मीटर में	सुरक्षा उपाय बजट लाखो में (प्रति वर्ष)
2	2.7175	21000	50	1.35	48.65	7.50
4	14.558 25	135010	50	6.72	43.28	
10	6.1077	51112	50	4.34	45.66	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि

- भारतीय खान ब्यूरो एवं माईनिंग विभाग द्वारा पिट क्षेत्र की गहराई के सम्बन्ध में दिए गए एवं भविष्य में दिए जाने वाले अन्य सभी निर्देशो एवं शर्तो का प्रयोजना प्रस्तावक द्वारा अक्षरशः पालना की जावेगी। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेंकिग प्रस्तुतीकरण में संलग्न है।

- खननपट्टाधारी वचनबद्ध है कि स्वीकृत खनन क्षेत्र में आने वाले निजी भूमिधारको की भूमि की खनन कार्य हेतु सहमति/क्रय जिला कलेक्टर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए फेयरडील के आधार पर की जाएगी। तत्पश्चात् ही खनन कार्य करेगें।

परीक्षण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह निर्देश दिया कि कृषकों (भू–स्वामीत्व) एवं परियोजना प्रस्तावक के मध्य सीधे आपसी सहमति मान्य नहीं की जावेगी, इसमें जिलाध्यक्ष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष किये गये विधि सम्मत सहमति की शर्तो को अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। पर्यावरणीय स्वीकृति मात्र ब्लाक न. 2,4 एवं 10 के लिये ही अनुशंसित की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन–5,00,010 टीपीए ।
2. भू–स्वामीत्व एवं परियोजना प्रस्तावक के मध्य आपसी सहमति है, वह जिले के जिला अध्यक्ष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष किये गये विधि सम्मत ही मान्य की जावेगी।
3. प्र्यावरण्रण
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. ...लाख प्रति वर्ष
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 8.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

विवरण	**राशि लाखो में (प्रति वर्श)**
शिक्षा	2.00
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	1.00
आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	2.00
सामाजिक कल्याण एवं जागरुकता	2.00
कौशल विकास	1.30
योग	**8.30**

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 86,5895 हे. क्षेत्र में 86,590 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार क्षेत्र में किया जावेगा :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन प्रस्तावित	
क्षेत्रफल हैक्टेयर	वृक्षो की संख्या
2.0888	2089
15.595	15595
3.625	3325
6.6749	6675
3.8908	7891
14.8895	14890
8.3687	8369
4.5085	4509
6.3093	6309
17.1598	17160
86.5895	86590

27. <u>Case No 9642/2023 Smt. Rajabeti Adiwasi W/o Shri Sunil Adiwasi R/o 61, Neemchadoha, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone (Farshi Patthar) Quarry in an area of 04.40 ha. (20,000 Cum per annum) (Khasra No. 950P), Village- Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Flag Stone (Farshi Patthar) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 950P), Village- Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP) 04.40 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती राजावेटी आदीवासी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री किशन पंडित (ऑनलाईन), मे0. ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जयपुर (राज.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 12151 दिनांक 01/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण फर्शी पत्थर का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण में 200 मी0. पर डेम स्थित है, पूर्व दिशा में लगभग 215 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला है तथा उत्तर–पूर्व दिशा में पक्का रोड 278 मीटर पर है एवं आबादी उत्तर–पूर्व दिशा में 625 मीटर पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 12240 दिनांक 13/12/2022 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोडी जावेगी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि इस प्ररकण के संबंध में दो शिकायत प्राप्त हुई है :–

अ. शिकायत–पत्र क्र0. 1 – ग्रामवासियों (श्री हाकिम सिंह गुर्जर, श्री गिरधारी गुर्जर, श्री दशरथ सिंह गुर्जर एवं अन्य) से प्राप्त शिकायत के संबंध में टीप (संलग्नक – 1 सिया को भी संबोधित है)

ब. मे0. मानवी इन्टरप्राइजेस, ग्वालियर (संलग्नक – 2)

समिति द्वारा प्राप्त उपरोक्त शिकायतों का अवलोकन किया एवं पाया कि दोनो शिकायतो में उठाये गये बिंदुओ जैसे लीज अलाटमेंट, उसके विरूद्ध की गई अपील, हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच आदेश दिनांक 19/10/94 इत्यादि के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रतिवेदन प्राप्त कर ही इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जाना उचित होगी अतः प्रकरण सिया के माध्यम से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाना अनुशंसित है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 29/07/23 को अपलोड कर दी गई है, सिया द्वारा उक्त प्रकरण को अपने बैठक क्रमांक 798 दिनांक 02/08/2023 में उल्लेख किया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये।
प्रकरण आज दिनांक 11/09/23 को समिति के समक्ष रखा गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री किशन पंडित (ऑनलाईन), मे0. ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जयपुर (राज.) के स्थान पर श्री संतोष खंताल मेसर्स क्रिएटिव इनवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) को नियुक्त कर लिया गया है। पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्न जानकारी पुनः प्रस्तुत की गई । प्रस्तुतीकरण में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि पूर्व में सेक की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/2023 के संबंध में शिकायतों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में जैसे लीज अलाटमेंट, उसके विरूद्ध की गई अपील, हाईकोर्ट ग्वालियर की बेंच आदेश दिनांक 19/10/94 इत्यादि के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थें। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर (खनिज शाखा) का पत्र क्रमांक 1171 दिनांक 14/07/2023 का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया है।

Project Background:-

- The lease has been granted by DGM Bhopal by letter no Kr.-15980/Khanij/QL/N.Kr.-82/2021 Bhopal dated 23/11/2022 in the name of Smt. Rajabeti Aadiwasi W/o Shri Sunil Aadiwasi, Add. - 61, Neemchdoha, District- Gwalior (MP) for a period of 10 years. over an area of 4.40 Ha located

at Khasra No 950 in Village - Jakhoda, Tehsil- Ghatigaon, District - Gwalior, Madhya Pradesh State.

- As per the gazette notification of Madhya Pradesh State Government dated 23rd March 2013, all the existing and fresh quarry leases must submit approved quarry plan and progressive mine closure plan. Therefore, the proponent submitted the mining plan and progressive mine closure plan for approval to the competent authority Directorate of Geology and Mining and the same has been approved by the concerned department vide letter no. SR. NO. 1256/ KHANIJ/ N.KR./ 2022-23, Gwalior Dated 30.11.2022.
- Approved District Survey Report has been obtained vide letter SR. -Q/3/MA. RA./ VIVIDH/2022/12240 Gwalior Dated 13.12.2022..
- Ekal Praman Patra has been obtained by SR. Q.L.I.D. 22699/2021 / 1289 / Gwalior dated 07.08.2023. which confirms that there is no sensitive receptor within 10 km, no forest patch within 250 m, no human settlement within 500m, no water stream, pond, river, or other water body within 100m from site from proposed site. As per Ekal Praman Patra, there are 4 more mines are proposed of area 5.42 ha.
- No objection certificate has been obtained from Village Panchayat for operation and mining activity vide Dated 02.10.2022.Khasra Map and Khasra Panchsala (P-II) are shown in ppt.

Basic Information of Project

S. No.	Parameters	Description
10	Technology	The mining will be carried out by opencast method, which includes semi-mechanized excavation, loading and transportation by excavator-tipper combination, stacking and finally dispatched by tippers. The capacity of the mine is 20,000 m^3 per year. This is a proposed new mine having area 4.40 Ha. Mined out Flag Stone from the mine will be carried out the systematic working by using hand tools & machines. As Flagstone is a hard rock as per DGMS norms 3-5m benches can be formed. Then it is brought to nearby stacking point where sizing is done manually, where different sizes are obtained as per buyer specification.
11	Drilling/ Blasting	Drilling & Blasting is not proposed.
12	Ultimate Pit Slope	45 degrees
13	Ultimate depth of Mining	10 m (318 mRL – 308 mRL)
14	Ground water level	35 - 50 m below surface level
15	GWT intersection	Mining will be done above the ground water table. Hence ground water table will not be intersected.
16	Drainage pattern/ water courses	There is no stream crossing in the mine lease area. Its course will not be obstructed or diverted.
17	Water requirement & source	Total water requirement for dust suppression, plantation, drinking, and others activity are 8.3 KLD. Water will be sourced from private tankers.
18	Cost of project	The capital cost for the project will be Rs. 20 lakhs. Machinery will be

		hired from nearby region.

CLUSTER DETAILS

S. No.	Lease Owner	Village / Tehsil	Khasra No.	Area (Ha)	Approval Date	Duration	Status
1	Shri Bharat Singh S/o Sobran Singh	Jakhroda / Ghatigaon	963	1.00	03/12/2021	27/05/22 to 26/05/32	Operational
2	Smt. Saroj Adivasi W/o Shir Munna Adivasi		954	1.50	23/11/2022	Under Process	-
3	M/s Rathore Stone Industries		954	1.50	23/11/2022		
4	Smt. Dropadi Devi D/o Banti Adivasi		954	1.42	23/11/2022		
5	Smt. Rajabeti Adivasi W/0 Shri Sunil Adivasi		950	4.40	23/11/2022		
Total				**9.82**	**-**	**-**	**-**

समिति ने परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ करने के निर्देश दिये :–

- कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर (खनिज शाखा) का पत्र क्रमांक 1171 दिनांक 14/07/2023 का प्रतिवेदन की स्पष्ट प्रति।
- डब्ल्यू.पी.एस 12854/1994 कोर्ट का आदेश क्यू.एल/54/2005 वर्ष 2016 के बिन्दु क्रमांक 07 को प्रस्तुत किया जाये।
- प्रकरण के संबंध में यदि कोई अपील लंबित हो तो उसका वर्तमान स्टेटस प्रस्तुत करे।
- खदान क्षेत्र के अंदर एवं आस–पास के क्षेत्र की विडियो ग्राफी करते हुये आंवटित खदान क्षेत्र की ड्रोन विडियोग्राफी प्रस्तुत करें

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर (खनिज शाखा) का पत्र क्रमांक 1171 दिनांक 14/07/2023 का प्रतिवेदन की स्पष्ट प्रति।
2. डब्ल्यू.पी.एस 12854/1994 कोर्ट का आदेश क्यू.एल/54/2005 वर्ष 2016 के बिन्दु क्रमांक 07 को प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रकरण के संबंध में यदि कोई अपील लंबित हो तो उसका वर्तमान स्टेटस प्रस्तुत करे।
4. खदान क्षेत्र के अंदर एवं आस–पास के क्षेत्र की विडियो ग्राफी करते हुये आंवटित खदान क्षेत्र की ड्रोन विडियोग्राफी प्रस्तुत करें

5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

28. <u>Case No. – 6127/2019 Shree Mulshankar Lohar S/o Shree Ramratan Lohar, Village - Anantkhedi, Tehsil - Petlawad, Dist. Jhabua, MP – 457773 Prior Environment Clearance for Crusher Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (19,000 cum per annum) (Khasra No. 512), Village - Anantkhedi, Tehsil - Petlawad, Dist. Jhabua (MP).</u>

प्रकरण 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए और प्रकरण समिति की 660वीं बैठक दिनांक 14/07/23 को पुनः समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मूलशंकर लोहार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. आज दिनांक 14/07/23 को उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक हॉलेज रोड़ है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 303 दिनांक 20/03/23 अनुसार प्रस्तावित खदान से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रास्ता है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान डीएसआर के आक्षांश'देशांश से नही होता परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि त्रृटिवश ऐसा हो गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने माईनिग प्लान के अनुसार जो गूगल इमेज प्रस्तुत की उसका मिलान डीएसआर के आक्षांश'देशांश से होता है । माईनिग प्लान एवं डीएसआर के अनुसार खदान क्षेत्र का क्षेत्रफल 3.93 हे. आ रहा है जबकि परियोजना प्रस्तावक ने आवेदित खदान क्षेत्र 3.0 हे. दर्शाया है, **अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि जिला खनिज अधिकारी से आक्षांश–देशांश को प्रमाणित कराकर पुनः प्रस्तुत करे** ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 11/09/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मूलशंकर लोहार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. आज दिनांक 14/07/23 को उपस्थित हुए ।
गूगल ईमेज के अनुसार खदान के बीच में से रास्ता है, एवं पक्का रोड उततर पूर्व दिशा में 500 मी. की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के बीच में से रास्ता है यह खनिज परिवहन (हालेज रोड) का रास्ता है । खदान क्षेत्र में स्थित पीट के संबंध मे बताया कि यह पुरानी खदान है पहले यह सीटीओ पर संचालित थी, खुदे हुए क्षेत्र को सरफेस में अपने दर्शाया गया है।
इस खदान की जनसुनवाई के दौरान जल छिडकाव, तार फेन्सिग, पानी के टेंकरों की व्यवस्था, वृक्षारोपण एवं रोजगार इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–19,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.33 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.86 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
प्राथमिक विद्यालय अनंतखेड़ी में प्रिंटर सहित 01 कम्प्यूटर, एक टेबल, एक कुर्सी उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहयोग	40,000/–
अनंतखेड़ी ग्राम में एक नया हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा ।	60,000/–
कुल	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, चिरौल बबूल, और	700

		उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	
2	शासकीय माध्यमिक विद्यालय, पेटलावाद	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर , मोलश्री इत्यादि।	30
	अनंतखेड़ी, सुवरपाड़ा, अजब, बेराली गांव के घरों में पेड़ों का वितरण किया जाएगा।	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	2570
	एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	300
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
		कुल	3600

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/

Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest

shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.

12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village

through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.

26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।